19

संख्याः–273/xxx (2)/2016/30(39)/2014

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 28 अक्टूबर 2016**

विषयः– पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संसूचित किये जाने तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/संतोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्योवदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 तथा शासनादेश संख्या–198/xxx (2)/2016, दिनांक 08 अगस्त, 2016 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देवदत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, सुखदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा प्रभु दयाल खण्डेलवाल बनाम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन के क्रम में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ यथा उत्कृष्ठ, अतिउत्तम, उत्तम, संतोषजनक, अच्छा तथा प्रतिकूल प्रविष्टियॉ संसूचित करने तथा उसके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त नियमावली/शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त अभी भी विभागों द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गो में अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित कर प्रत्यावेदनों को प्राप्त करते हुए उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की राज्य गठन से लेकर आतिथि तक समस्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित कर उसके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण उक्त प्रख्यापित नियमावली के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

4– भविष्य में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय चयन समिति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण–पत्र आवश्य प्रस्तुत किया जायेगा कि पात्रता सूची में आने वाले समस्त कार्मिकों को उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित कर दी गई है, एवं उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक निस्तारण किया जा चुका है। यदि विभागीय चयन समिति की बैठक के समय अथवा उसके पश्चात वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ को संसूचित न करने अथवा प्रत्यावेदनों के अनिस्तारण की स्थिति संज्ञान में आता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

5 कृपया उक्त का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः– 273/xxx (2)/2016/30(39)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. अधिशासी निदेशक, एन0आ0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।